## कार्यालय - नगर पालिक निगम, इंदौर

## व्यवसाय लायसेंस (अनुज्ञप्ति)

वर्ष: 2023-24

नगर पालिका निगम अधिनियम १९५६ की धारा ३६६ एवं ४२७ के अंतर्गत निर्मित उपविधियों के अंतर्गत जारी

अनुज्ञप्ति क्रमांक	: 39052 / 04-23 / 0152 / 002246	शुल्क रूपये	: 1600.00
रजिस्ट्रेशन नंबर	: 8000507397	आवेदन दिनांक	: April 18, 2023
वार्ड नंबर	: Head Office Indore	जोन	: 003
आवेदक का नाम	: PRAMOD DHUGE , S/o / W/o / D/o / C/o / Partner		
फर्म या कम्पनी का नाम	: REBEL FOODS PVT. LTD.		
स्थल का विवरण	: 178-179,P.U 4 SCH NO.54 MALHAR MEGA MALL,452001.Ph. No		
जिसके लिए लायसेंस प्रदान			
किया गया हैं			
व्यवसाय / व्यापार का है	: 39052 : कन्फेक्शनरी(खेरची विक्रेता) , 39047 : तैयार खाघ पदार्थ(खेरची विक्रेता) , 19047 : तैयार खाघ पदार्थ(निर्माता)		
लायसेंस अवधि	: 01.04.2023 - 31.03.2024		

नोट: १. नगर पालिका निगम द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के द्वारा निरीक्षण करने के दौरान चाहे जाने पर लायसेंस प्रस्तुत करना होगा !

- २. व्यापार का स्थानं एवं नाम परिवर्तन की दशा में नवीन लायसेंस प्राप्त करना अनिवार्य होगा !
- 3. किसी भी तरह के विवाद की स्थिति मे न्यायक्षेत्र, उस पालिका / निगम / परिषद का रहेगा जहाँ से लाइसेंस जारी हुआ है !
- ४. असत्य जानकारी / दस्ताबेजो के आधार पर लायसेंस निरस्त माना जाकर संबंधित पर वैधानिक कार्यवायी की जावेगी !
- ५. उक्त प्रमाण पत्र व्यवसाय की अनुत्रप्ति मात्र है ! लोन , जमानत एवं स्वामित्व विवाद के लिए जारीकर्ता विभाग जवाबदार नहीं होगा !
- ६. व्यवसाय बंद होने पर लाइसेंस/ खाता आवेदन प्रस्तुत कर बंद करना अनिवार्य आवश्यक होगा !
- ७. समय-समय पर शासन / जिला प्रशासन सम्बंधित व्यवसाय के सम्बन्ध में जो भी दिशा निर्देश जारी होंगे, उनका पालन करना अनिवार्य होगा !
- ८. उक्त लाइसेंस व्यवसाय पर लाग् नियमो / अधिनियमो के पालन करने की शर्ती पर जारी किया जाता है |
- ९. उक्त लाइसेंस सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम २००३ एवं सार्वजनिक स्थलो पर धूम्रपान का प्रतिबंध नियमावली २००८ के उपनियमों के पालन करने की शर्तो पर जारी किया जाता है |

अनुज्ञप्ति अधिकारी नगर पालिक निगम, इंदौर